रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No.124] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

फा. सं. पी-15015/264/13-पी ए/ एफ एस एस ए आई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कतिपय विनियमों के प्रारुप को उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त विनियमों के प्रारुप पर उक्त तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, उसके तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेपों और सुझावों को, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषध प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110062 के पते पर भेजे जा सकेंगे ;

उन आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त विनियमों के प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जायेंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पहले विचार किया जायेगा ।

प्रारुप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2014 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में "फसल संदूषकों और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थों" से संबंधित विनियमन 2.2 के उप-विनियमन 2.2.1 में, खंड 1 और उसके अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई फसल संदूषक, जो स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस मात्रा से अधिक समाविष्ट नहीं होगा जो उक्त सारणी के स्तंभ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

क्रम सं.	संदूषक का नाम	खाद्य पदार्थ	यू. जी/कि.ग्रा. मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एफ्लाटाक्सिन	अनाज और अनाज के उत्पाद	15
		दलहन	15
		गिरिदार फल गिरिदार फल जिनका और प्रसंस्करण होना है खाने के लिए तैयार	15 10
		सूखा अंजीर /गूलर	10
		तेलहन या तेल तेलहन जिनका और प्रसंस्करण होना है खाने के लिए तैयार	15 10
		मसाला	30
2.	एफ्लाटाक्सिन एम- 7	दूध और दूध के उत्पाद	0.5
3.	ओकराटाक्सिन ए	गेहूं, जौ और राइ	20
4.	पेटयूलिन	सेब का जूस और अन्य पेय में सेब के जूस के संघटक	50
5.	डीआक्सीनिवालिनाल	गेंहू	1000"।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15]

टिप्पण : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना फा. सं.1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/ एफ़एसएसएआई/ 2012, , तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

F. No. P-15025/264/13-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to "Crop Contaminants and naturally occurring toxic substances", in sub-regulation 2.2.1, for clause in clause 1 and the table thereunder, the following shall be substituted, namely:-

   "1. No article of food specified in column (3) of the Table below shall contain any crop contaminant specified in the corresponding entry in column (2) thereof in excess of quantities specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

S.No.	Name of the Contaminants	Article of the food	Limit µg/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aflatoxin	Cereal and Cereal Products	15
		Pulses	15
		Nuts Nuts for further processing Ready to eat	 15 10
		Dried figs	10
		Oilseeds or oil Oilseeds for further processing Ready to eat	 15 10
		Spices	30
2.	Aflatoxin M_1	Milk and milk products	0.5
3.	Ochratoxin A	Wheat, barley and rye	20
4.	Patulin	Apple juice and Apple juice ingredients in other beverages	50
5.	Deoxynivalenol	wheat	1000".

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended vide notification No. 1-12/Sci.Panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated the 3rd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.